

कार्यालय प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा जिला बालोद छ.ग.

सिविल याचिका क्रमांक 887/2009में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय एवं तदनुसार
रैगिंग रोकने हेतु गठित समिति
(उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रं.एफ-15-15/2009/38-1दिनांक03.08.09)

-----000-----


(अ) एन्टी रैगिंग समिति:- सत्र 2020-21

01	सिविल प्रशासन के प्रतिनिधि	:तहसीलदार,गुण्डरदेही।
02	पुलिस प्रशासन के प्रतिनिधि	:थाना प्रभारी पुलिस थाना अर्जुन्दा जि.दुर्ग ।
03	स्थानीय मीडिया के प्रतिनिधि	:श्री आर.के.देवांगन, अर्जुन्दा।
04	युवा गतिविधियों से संबंधित गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि	:श्री चंद्रहास साहू चीचा।
05	संस्था के प्रतिनिधि	::श्रीमति रश्मि सिंह , सहा.प्रा.। ::श्री जी पी पाठक सहा.प्रा. : डॉ.अरुणा साव सहा.प्रा.।
06	पालकों के प्रतिनिधि	:श्री कुंजलाल देवांगन नगर पंचायत अर्जुन्दा,
07	वरिष्ठ विद्यार्थियों के प्रतिनिधि	:श्री डोमैद्र कुमार एम. ए., अर्जुन्दा।
08	नव-विद्यार्थियों के प्रतिनिधि	:श्री अनुज कुमार ,बी.ए.भाग एक।
09	अशैक्षणिक स्टॉफ के प्रतिनिधि	:श्री उत्तम देशमुख प्र.तक.।

(ब) एन्टी-रैगिंग स्क्वाड :-

01	श्रीमति रश्मि सिंह,सहा.प्रा.गृह विज्ञान,
02	श्रीमति बसंती एक्का, सहा.प्रा.अर्थशास्त्र,
03	श्री जी.पी.पाठक सहा.प्रा.भूगोल,
04	डॉ.अरुणा साव ,सहा.प्रा.रसायनशास्त्र,
05	श्री मोहित साव सहा.प्रा.
06	श्री आयुष्मान मिश्रा।




प्राचार्य प्र. प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा
जिला बालोद छ.ग. जिला-बालोद (छ.ग.)